न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

अपील संख्या – 12/2019

जी.सी.एम.एस नम्बर – 2019/00012

अपीलांटः–

1. चिमनगिरी पुत्र दौलगिरी जातिगण गोस्वामी निवासी माताजी का बाडा, बाली तह. बाली जिला पाली

बनाम रेस्पोंडेंट्सः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी तहसीलदार (भु अभिलेख) बाली, जिला पाली

उपस्थितिः–

1. श्री नवीन दवे विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 की ओर से

अपील अंतर्गत धारा 75 भु राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 13.06.2018 राजस्व पत्रावली संख्या /भु. अभियान/रास्ता अभियान/18/1475 तहसीलदार महोदय (भु.अभिलेख) बाली द्वारा पारित किया गया

–:आदेशः– दिनांक 24/2/22

1. अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) बाली द्वारा पारीत आदेश दिनांक 13.6.2018 राजस्व पत्रावली संख्या/भु.अभियान/रास्ता अभियान/18/1475 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।
2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। जो बाद तामिल प्राप्त होने पर सामिल पत्रावली किये गये।
3. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे ने निवेदन किया की तहसीलदार (भु.अ.) बाली ने एक प्रार्थना–पत्र तत्कालिन उर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम उल्लेखित प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही करते हुए कार्यालय टिप्पणी के अंकन पर मौका रिपोर्ट मंगवाकर बिना पक्षकार को सुने तथा बिना किसी भी विधि, अधिनियम, धारा का अनुसरण किये बिना एक मनमाना एंव अनुचित आदेश विधि के विरूद्व एंव पक्षकार के हितो के परे जाकर पारित कर दिया जिस पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत की गई है।
4. यह है कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तथा तथ्यों व रेकर्ड के विरूद्व होने से निरस्त करने योग्य है।
5. यह है कि श्रीमान् तहसीदार (भु.अभिलेख) बाली ने अपने अधिकार क्षैत्र के परे जाकर आदेश पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रक्रिया की विधि मे अलग से व्यवस्था है

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

एंव अधिकार दिये हुये है। बावजुद इसके अपने क्षैत्राधिकार में नही होना जानते हुये भी आदेश पारित किया है जो पूर्णतया मनमाना एंव विधि विरूद्व है जो काबिल ए अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भु अभिलेख बाली द्वारा पारित आदेश गलत धारा की व्याख्या कर गलत धाराओ का अंकन कर एंव अधिकार क्षैत्र से परे जाकर बिना मामले को समझे एक मनमाना प्रशसानिक आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया अवलोकन मात्र से ही काबिल ए अपास्त के है।
7. यह है कि खसरा नम्बर 549 डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी के नाम से दर्ज है जो पूजारी दौलगिरी जी तथा उनके पश्चात् उनके वारिशान नारायणगिरी, चिमन गिरी गुसाई वगैरह के नाम व उनके परिवार के नाम से रही है जिस कारण से उक्त डोली महादेव मंदिर की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार तहसीलदार भु अभिलेख बाली को नहीं था ना तो नियमो की पालना की गई न ही प्रक्रिया की पालना की गई बावजुद इसके भी अधिकार क्षैत्र से परे जाकर आदेश पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है।
8. यह है कि शमशान की भुमि कौनसे खसरे मे आई हुई है उसकी जमाबंदी अथवा खाता अलग से है या नही, उसका खसरा नम्बर कौनसा है यह जाने बिना तथा उक्त तथ्यों के रेकर्ड पर आये बिना आदेश पारित कर दिया जो की पूर्णतया मनमाना है।
9. यह है कि बिना पक्षकारो को सुने एक मनमाना व दोषपूर्ण आदेश पारित कर दिया है जो की प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त एंव विधि के विपरित है। कानून में रास्ते बाबत स्पष्ट रूप से अलग व्यवस्था होते हुए भी यह आदेश तहसीलदार जी द्वारा पारित किया गया है। रास्ते के लिये विधि में अलग से धारा 251 ए के तहत व्यवस्था विधि के अनुसार दी गई है जिसमें कोई भी व्यथित पक्षकार निर्धारित प्रारूप में सहायक कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखकर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है जिस बात की पूर्णयता जानकारी तहसीलदार साहब को होते हुए भी तरमीम के नाम पर जो नया रास्ता दिया गया है वह पूर्णयता विधि विरूद्व एंव अधिकार क्षैत्र के परे है। प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि रास्ते की मांग की गई है जो की तहसीलदार के सुनवाई क्षैत्राधिकार में नही आता है जिस कारण से भी जो आदेश पारित किया गया है वह काबिल ए अपास्त योग्य है।
10. यह है कि कानूनन तरमीम बाबत जो व्याख्या कर आदेश पारित किया गया है उसकी गलत रूप से व्याख्या की गई है। तरमीम किस आधार पर व कैसे होगी तथा किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा इसकी बिना जारकारी व प्रावधानों को अपनाये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया गया है जो काबिल ए अपास्त किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (सीकिंग)
पाली (राज.)

आफिस जाने तथा अपने मिलने वाले विधिक सलाहकार की सलाह लेकर संबधित नकले निकलवाने एंव उसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही पाली में होने की जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक दस्तावेजो एंव रूपयों की व्यवस्था कर पाली आकर अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उसको यह सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तथा उपरोक्तानुसार यह अपील प्राप्त जानकारी से बिना किसी विलम्ब के अपील श्रीमान के समक्ष पेश की है जो कि जानकारी से अंदर अवधी पेश है । विधि अनुसार भी अपीलांट उक्त प्रकरण मे पक्षकार नही था तथा बाले बाले एक तरफा आदेश पारित किया गया है जिस कारण से भी अपीलांट को जानकारी नही थी जिस कारण से अपील पेश करने मे हुई देरी को क्षमा फरमावे तथा उपरोक्त कारणों से अपील को अंदर अवधी शुमार फरमाने का आदेश फरमावें।

14. अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन हैं कि तहसीलदार (भू.अ.) बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.6.2018 राजस्व पत्रावली संख्या/भू.अ./रास्ता अभियान/18/1475 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

15. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। जो बाद तामिल प्राप्त होने पर सामिल पत्रावली किये गये।

16. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं कर सिधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया।

17. अपीलांट की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री नवीन दवे द्वारा अपनी मोखीक बहस के दोरान प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की तहसीलदार (भ. अ.) बाली द्वारा अपने आदेश क्रमांक/भू.अ./रास्ता अभियान/18/1475 दिनांक 13.6. 2018 के तहत मौजा ग्राम माताजी का वाडा, तहसील बाली के खसरा नम्बर 549 व 550 मे से जो नया रास्ता इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किया गया हैं जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध पारित किये जाने से उक्त आदेश काबिल ए अपास्त किये जाने योग्य हैं।

18. अपीलांट की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) बाली द्वारा गलत धारा की व्याख्या कर गलत धाराओं का अकंन कर एवं अधिकार क्षैत्र से परे जाकर बिना मामले को समझे तथा बिना पक्षकारों को सुने एक मनमाना व दोषपूर्ण आदेश पारित कर दिया हैं जो की प्राकृतिक, न्याय, सिद्धान्त एवं विधि के विपरित होने से काबिल ए अपास्त योग्य हैं।

अतः तहसीलदार (भू.अ.) बाली के आदेश क्रमांक/भू.अ./रास्ता अभियान/ 18/1475 दिनांक 13.6.2018 को अपास्त करने का आदेश प्रदान करावें।

19. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अभिभाषक ने अपनी मोखीक बहस में निवेदन किया कि मौजा ग्राम माताजी का वाडा के खसरा नम्बर 550 रकबा 1.88 हैक्टयर किस्म गैर

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

मुमकिन औरण जो की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 01 के अनुसार सीवायचक भूमि दर्ज हैं। साथ ही खसरा नम्बर 549 रकबा 2.52 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम जिसमे से शमशान मे जाने हेतु कदीमी रास्ता नक्शे में दर्शाये गये लाल स्याही के अनुसार उक्त भूमि मे से आने जाने हेतु पूर्व मे कच्चा रास्ता मौके पर स्थित था। उक्त तथ्य हल्का मौखमपुरा की जाच रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित होता हैं।

20. राजकिय अभिभाषक ने अपनी मौखीक बहस में निवेदन किया की तहसीलदार (भू.अ.) बाली ने अपने आदेश क्रमांक/भू.अ./रास्ता अभियान/18/1475 दिनांक 13.6.2018 द्वारा ग्राम माताजी का वाडा के खसरा नम्बर 549 व 550 जो मौके पर रास्ता था जो शमशान मे जाने वाले कच्चे रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रहा था। जिसका उसी अनुरूप पृथक बट्टा नम्बर अंकित करर सिवायचक भूमि व डोली की भूमि को यथावत रखते हुए नामान्तरकरण दर्ज कर माफिक नक्शे अनुसार अन्तर्गत धारा 136 के तहत खसरा नम्बर 550 मे से रकबा 248 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 549 मे से रकबा 720 वर्ग मीटर भूमि का रास्ते की तरमीम करने का आदेश पारित किया गया था। जो तहसीलदार बाली द्वारा न्यायिक सिद्धान्तो एवं विधि अनुरूप पारित किया गया हैं।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहिन होने से अपील अस्वीकार फरमावे तथा तहसीलदार (भू.अ.) बाली का आदेश यथावत रखा जाने का आदेश फरमावे।

21. उभयपक्ष की बहस सूनी गई।

22. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये साक्ष्य, सबुतो व राजस्व रेकर्ड का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी अपील मे मुख्य बिन्दु यही रखा हैं कि तहसीलदार (भू.अ.) बाली द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1475 दिनांक 13.6.2018 में मौजा ग्राम माताजी की वाडा के खसरा नम्बर 550 व 549 में नया रास्ता दर्ज किया हैं जो कि विधि विरूद्ध हैं? पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से ये स्पष्ट होता हैं कि तहसीलदार (भू.अ.) बाली द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1475 दिनांक 13.6.2018 के द्वारा नया रास्ता दर्ज नही किया गया हैं। तहसीलदार (भू.अ.) बाली ने उक्त आदेश के द्वारा ग्राम माताजी का वाडा के खसरा नम्बर 549 व 550 जो मौके पर रास्ता था जो शमशान मे जाने वाले कच्चे रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रहा था। जिसका उसी अनुरूप पृथक बट्टा नम्बर अंकित करर सिवायचक भूमि व डोली की भूमि को यथावत रखते हुए नामान्तरकरण दर्ज कर माफिक नक्शे अनुसार अन्तर्गत धारा 136 के तहत खसरा नम्बर 550 मे से रकबा 248 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 549 मे से रकबा 720 वर्ग मीटर भूमि का रास्ते की तरमीम करने का आदेश पारित किया है, जो न्यायिक सिद्धान्तो एवं विधि अनुरूप पारित किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है। तहसीलदार (भू.अ.), बाली का आदेश क्रमांक/1475 दिनांक 13.6.2018 को यथावत रखा जाता है तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 24/2/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

11. यह है कि उक्त पारित आदेश केवल एंव केवल मात्र राजनैतिक दबाब से पारित किया जाना प्रकट होता है जिसमें अधिकार क्षैत्र से परे जाकर राजनीतिक दबाब के चलते रास्ता दर्ज किया गया है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट का एक कच्चा रहवासीय मकान इस खसरा नम्बर मे आया हुआ स्थित है जिसमे वह अपने परिवार सहित निवास करता है जानबुझकर अपीलांट को हैरान व परेशान करने के लिये उक्त रहवासीय मकान मे से होकर रास्ता दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है खसरा नम्बर 550 डोली बनाम महादेव मंदिर की भुमि है जिसमे से रास्ता दिलवाये जाने का कोई विधिक अधिकार तहसीलदार को नही है नियमानुसार यदि कोई प्रक्रिया अपनाई भी जाती है तो वह भुमि अधिग्रहण करके अथवा अन्य विधिक रूप से कार्यवाही कर की जा सकती है जबकि तहसीलदार महोदय ने बिना उक्त विधिक प्रक्रिया अपनाये बाले बाले तुगलकी आदेश फरमान के रूप में पारित कर दिया जो किसी भी रूप में कानूनन चलने योग्य नही है।

12. यह है कि विधि अनुसार डोली की भुमि पर किसी भी प्रकार को कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है न ही कोई रास्ता ही दिलवाया जा सकता है साथ ही खसरा नम्बर 549 जो की ओरण की भुमि है जिसमे भी रास्ता दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमे भी नियमों एंव प्रक्रिया का पालन उपरोक्तानुसार नही किया गया है। खसरा नम्बर 549 एंव 550 मे से सर्वप्रथम तो नया रास्ता दिलवाने की विधिक सुनवाई का अधिकार तहसीलदार भु अभिलेख को नही है द्वितीयतः बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वह उक्त आदेश पारित ही नही कर सकता है जिस कारण से अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया अपने आप मे ही दूषित होकर काबिल ए अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त खसरा नम्बर 550 की भुमि पर बरसो बरस से रहवासीय कच्चा मकान बना हुआ है जिसमें अपीलांट के हित हितार्थ है। अपीलार्थी को बिना सुने एक तरफा तुगलकी फरमाने तहसीलदार भु अभिलेख द्वारा पारित कर दिया गया है जिसमें अपीलांट के हित प्रभावित हुये है तथा उसके रास्ते रहवासीय मकान पर आने जाने मे भारी असुविधा व दिक्कत व परेशानी पैदा हुई है स्वयं अपीलांट उक्त डोली महादेव मंदिर का सेवा चाकरी करने वाला पूजारी है तथा उसके नाम से एंव उसके परिवारजन के नाम से बिगोडी की रसीदे भरी गई है साथ ही महादेव मंदिर के नाम की भी बिगोडी की रसीदे है जिसमें अपीलांट के हित प्रभावित हुये है जिस कारण से वह व्यथित पक्षकार है जिससे यह अपील पेश कर रहा है।

13. यह है कि अपीलांट को उक्त पारित आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी हल्का पटवारी द्वारा नाम चौक करने एंव मौके पर आने पर अपीलांट द्वारा उनको पूछने पर यह जानकारी प्राप्त हुई की बाले बाले एक तरफा रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया है जिस पर अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण मामले की जानकारी करने हेतु तहसील

अति. जिला कलक्टर (सिविल)
पाली (राज.)